अपील सूचना अधिकार संख्या 09/2019 (RCMS 2019/00024) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), श्रीगंगानगर

22.07.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। बहस सुनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22.10.2018 को प्रस्तुत करके 04 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा ने उसे बिन्दुवार सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित की जावे एवं उसे वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.10.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः

1. कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर के पत्रांक 584 दिनांक 13.07.2016 जांच रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), श्रीगंगानगर में पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति का क्रमांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के नाम की सूचना व कार्यवाही की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।
3. जांच रिपोर्ट में अधिकारी द्वारा बी.एल.ओ. सुभाष गोयल के विरूद्ध कार्यवाही, उसके दोषी होने के उपरान्त भी न करने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. बी.एल.ओ. श्री सुभांष गोयल दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक श्रीगंगानगर चुनाव ड्यूटी में कार्य कर रहा है व दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक जोधपुर में भी उपस्थिति दर्ज करता रहा है। इस धोखे के आधार पर बी.एल.ओ. को जिस नियम के आधार पर सस्पेण्ड नहीं किया है, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सूकाअ/2019/4360 दिनांक 06.02.2019 से अपील का निम्नानुसार जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त अपील संख्या 09/2019 राधेश्याम गोयल बनाम एसपीआईओ के तहत अपीलार्थी द्वारा श्रीमान् राज्य लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.10.2018 एवं श्रीमान् राज्य लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक 653 दिनांक 24.10.2018 द्वारा जो इस कार्यालय में दिनांक 02.11.2018 को प्राप्त प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना भिजवाई जा चुकी है।

अतः श्रीमान्जी को जवाब अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना जो कार्यालय में उपलब्ध है, अपीलार्थी को भिवजाई जा चुकी है, जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। कृपया अपील खारिज करने का श्रम करें।

-Sd-
सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सूकाअ/2018/4171 दिनांक 20.12.2018 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

क्र.सं.	वांछित सूचना	प्रतिउत्तर
1	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर के पत्रांक 584 दिनांक 13.07.2016 जांच रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), श्रीगंगानगर में पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति का क्रमांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।	प्राप्ति क्रमांक 2920 दिनंक 20.07.2016
2	जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के नाम की सूचना व कार्यवाही की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।	लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूंकि खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है।
3	जांच रिपोर्ट में अधिकारी द्वारा बी. एल.ओ. सुभाष गोयल के विरूद्ध कार्यवाही, उसके दोषी होने के उपरान्त भी न करने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।	
4	बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक श्रीगंगानगर चुनाव ड्यूटी में कार्य कर रहा है व दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक जोधपुर में भी उपस्थिति दर्ज करता रहा है। इस धोखे के आधार पर बी. एल.ओ. को जिस नियम के आधार पर सस्पेण्ड नहीं किया है, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।	

-sd-
सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, **उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। किन्तु फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में **कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख में से अपीलार्थी द्वारा किसी** निश्चित **दस्तावेज की प्रमाणित प्रति चाही जावे तो नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर